"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2—श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000), संयुक्त सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा, रायपुर, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, पंजीयक फर्म एवं संस्थायें को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जशपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (सी.जी. : 2004), कलेक्टर, बस्तर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया जाता है तथा मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. श्री अंकित आनंद, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2006), कलेक्टर, जशपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, बस्तर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से., मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, छ.ग., रायपुर तथा पदेन उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, गृह विभाग एवं संचालक, संपदा, रायपुर पदस्थ किया जाता है तथा उप सचिव, परिवहन विभाग एवं पंजीयक फर्म एवं संस्थायें का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-05/दो-गृह/परीक्षा/2013.—भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को दूसरा प्रश्न पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुनील कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर
2.	श्री जयेन्द्र कुमार देवांगन	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-13/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "समाज शिक्षा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रविकांत कुम्भकार	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर		
2.	श्री दीपचंद कुजूर	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-17/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पुलिस अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित तुकाराम कांबले	ए. एस. पी.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-19/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पुलिस अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "पुलिस शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित तुकाराम कांबले	ए. एस. पी.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-25/दो-गृह/परीक्षा/2013.—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31-01-2013 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) एवं "लेखा द्वितीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संजीव कुमार झा	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
2.	श्री दीपक सोनी	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री चंदन कुमार	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री जयेन्द्र लाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-28/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पुलिस अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "न्यायिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र जगदलपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित तुकाराम कांबले	ए.एस.पी.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-31/दो-गृह/परीक्षा/2013.—नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री परमानंद खुंटे	सहायक भौमिकी विद्	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	कु. रेणुका नाग	सहायक भौमिकी विद्	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
3.	श्रीमती अंजू सिंह	सहायक भौमिकी विद्	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-40/दो-गृह/परीक्षा/2013.—सभी विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 02 फरवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती शतोभीषा समाजदार	डी.सी.एफ. (प्रशिक्षण)	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री अमित तुकाराम कांबले	ए.एस.पी.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-44/दो-गृह/परीक्षा/2013.—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "स्विच गियर तथा संरक्षण" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री सुरेश कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-07/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित सिंह परिहार	परिवीक्षा अधिकारी	सश्रेय

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री अखिलेश्वर तिवारी	परिवीक्षा अधिकारी	सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
3.	श्री रविकांत कुम्भकार	परिवीक्षा अधिकारी	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-10/दो-गृह/परीक्षा/2013.—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "खनिज प्रबंध" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री परमानंद खुटे	सहायक भौमिकी विद्	सश्रेय
2.	श्री प्रफुल्ल मांझी	सहायक भौमिकी विद्	उच्चस्तर
3.	सुश्री सीमा चौबे	सहायक भौमिकी विद्	उच्चस्तर
4.	कु. रेणुका नाग	सहायक भौमिकी विद्	सश्रेय
5.	श्री राहुल देव शर्मा	सहायक भौमिकी विद्	सश्रेय
6.	श्रीमती अंजू सिंह	सहायक भौमिकी विद्	सश्रेय
7.	श्री दीपक मिश्रा	सहायक भौमिकी विद्	सश्रेय
8.	श्री पूर्णानंद वर्मा	सहायक भौमिकी विद्	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-15/दो-गृह/परीक्षा/2013.—सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "वन विधि" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्रीमती शतोभीषा समाजदार	डीसीएफ (प्रशिक्षण)	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-20/दो-गृह/परीक्षा/2013.—सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री मयंक पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्रीमती शतोभीषा समाजदार	डीसीएफ (प्रशिक्षण)	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-27/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 31-01-2013 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम" (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री रविकांत कुम्भकार	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री सुखेन्द्र प्रताप सिंह	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर	
3.	श्री दीपचंद्र कुजूर	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-33/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01-02-2013 को प्रश्न पत्र "लेखा प्रथम" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के) एवं द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित)

विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. अनिल चौहान	सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-38/दो-गृह/परीक्षा/2013.—सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 फरवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री चुड़ामणि सिंह	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री मयंक पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्रीमती शतोभीषा समाजदार	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	श्री लोकनाथ पटेल	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-41/दो-गृह/परीक्षा/2013.—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 28 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक एफ 9-42/दो-गृह/परीक्षा/2013.—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी, 2013 को प्रश्न पत्र "विद्युत संस्थापनायें" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सुरेश कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक एफ 9-08/दो-गृह/परीक्षा/2013.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 एवं 30 जनवरी, 2013 को प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग ए, बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	सम्मिलित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री चंदन कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे	सहायक कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय उत्तीर्ण
3.	श्री जयेन्द्र लाल देवांगन	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री सुशील कुमार पान्डे	राजस्व निरीक्षक	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री कैलाश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में सश्रेय उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय उत्तीर्ण
6.	श्री सुनील चंद्र आचार्य	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर	
7.	श्री भोसकर विलास संदिपान	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 मई 2013

क्रमांक एफ 9-22/दो-गृह/परीक्षा/2013.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 30 जनवरी, 2013 को "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित सिंह परिहार	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री अखिलेश्वर तिवारी	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
3.	श्री रविकांत कुम्भकार	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
4.	श्री सुखेन्द्र प्रताप सिंह	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र अंबिकापुर	
5	ी दीपचन्द्र कुजूर	परिवीक्षा अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 9 मई 2013

क्रमां एफ -45/दो-गृ ीक्षा/2013.—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिले सह अधीक्षक भू-अभि ख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिक जनप पंचायत, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारियों के लिये तथा मुख्य कार्यपा अधि ारी जनपद पंचायत के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 01 फरवरी, 2013 को "पंचायत राज प्रशासन" विधि ा प्रकि या) वि य में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अ (1	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सी. एस. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
2.	श्री जयेन्द्र कुमार देवांगन	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 24 मई 2013

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2013 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 9-46/दो-गृह/सामान्य (परीक्षा)/2013.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त से 24 अगस्त, 2013 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

शुक्रवार, दिनांक 16-08-2013

क्रमांक (1)	प्रश्नपत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	**प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.**
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

शुक्रवार, दिनांक 16-08-2013

6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
7.	दूसरा प्रश्नपत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	**दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.**
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

सोमवार, दिनांक 19-08-2013

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिंना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्नपत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना-पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना-पुरतकों के)	
	सोमवार, दिनांक 19-08-2013	
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्नपत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	मंगलवार, दिनांक 20-08-2013	
20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

मंगलवार, दिनांक 20-08-2013

(1)	(2)	(3)
22.	प्रश्नपत्र प्रथम वन विधि **(बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये**	
23.	पहला प्रश्नपत्र-**प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये**	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
24.	पुलिस अधिकारियों की **"व्यवहारिक शाखा" प्रश्नपत्र**	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण **ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये** (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 20-08-2013

25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-**विक्रयकर विभाग के अधिकारियों** के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया **(पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू**-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" **प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के)**	
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों **सहित) सहायक वन संरक्षकों** के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्नपत्र सामान्य विधि (पुस्तकों **सहित) वन क्षेत्रपालों** के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम **तथा नियम (बिना पुस्तकों के)** पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्नपत्र सहकारी लेखा **तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के)** भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं **के सहायक पंजीयकों** के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) **आदिमजाति कल्याण** विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	

गुरुवार, दिनांक 22-08-2013

33.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब-तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	**प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.**
35.	प्रश्नपत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 22-08-2013

(1)	(2)	(3)
37.	**लेखा (पुस्तकों सहित)** उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग **के अधिकारियों के लिये**	
38.	**लेखा (लेखा पुस्तकों** सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी **विभाग के अधिकारियों के लिये**	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
39.	**लेखा (पुस्तकों सहित)** उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	**लेखा (पुस्तकों सहित)** नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 22-08-2013

(1)	(2)	(3)
41.	**लेखा (पुस्तकों** सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	
42.	**द्वितीय प्रश्नपत्र** लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू **अभिलेख** विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	**द्वितीय प्रश्नपत्र** लेखा (पुस्तकों सहित) आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	**द्वितीय प्रश्नपत्र** लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	

शुक्रवार, दिनांक 23-08-2013

(1)	(2)	(3)
45.	**सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग** के अधिकारियों **के लिये प्रश्नपत्र** भाग-1 (बिना पुस्तकों के) **पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों** के लिये.	
46.	**प्रथम प्रश्नपत्र** लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग **के अधिकारियों के लिये** (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्नपत्र लेखा (पुस्तकों **सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय** एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्नपत्र विधि तथा प्रक्रिया (**बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के** अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य **और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क** विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) **वन क्षेत्रपालों के लिये**	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा **प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों**, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक **अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला** कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड **अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला **संयोजक, क्षेत्र संयोजक**, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 23-08-2013

(1)	(2)	(3)
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्नपत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्नपत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 24-08-2013	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/92/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाता है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अतः ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

   इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-07-2013 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक एफ 7-37/13/12.—अधिसूचना क्रमांक 443/ख.सा.वि./2002, दिनांक 18 फरवरी 2012 द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज रीति में राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

(1) नीति में जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "परिकल्पना 2010" आया हो के स्थान पर, शब्द एवं अंक "परिकल्पना 2015" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) खण्ड 2.2 के शीर्षक "गुणवत्ता संवर्धन तथा खनिज विकास" के अंतर्गत उप शीर्षक "निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन" के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"खनिज रियायतों की स्वीकृति एवं खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (5) के अंतर्गत प्राथमिकता— किसी भी कंपनी/कॉरपोरेशन/फर्म या निजी व्यक्ति का खनिज पर एकाधिकार न होने पाये, इसलिए इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से प्रत्येक खनिज रियायत धारक की खनिज की "कैप्टिवयूज" हेतु आवश्यकता का आंकलन किये जाने के पश्चात् ही निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए खनिज रियायत स्वीकृति की जा सकेगी :—

(एक) प्रदेश में स्थापित खनिज पर आधारित उत्पादनरत उद्योगों को उनकी खनिज की आवश्यकता की सीमा तक खनिज रियायत की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी

(दो) एक ही खनिज क्षेत्र पर खनिज आधारित उद्योगों तथा खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से सक्षम आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी :—

(क) ऐसे आवेदक जिनके छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज आधारित उद्योग स्थापित है तथा जिन्हें कोई खनिज रियायत स्वीकृत नहीं है अथवा उनकी उद्योग की क्षमता के अनुरूप आवश्यक खनिज की मात्रा हेतु खनिज रियायत स्वीकृत नहीं है को उनकी कच्चे माल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रथम वरीयता दी जाएगी.

(ख) ऐसे आवेदक जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में ही खनिजों के मूल्य संवर्धन हेतु उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम के साथ एम.ओ.यू. (Memorundum of Understanding) हस्ताक्षरित किया हो, ऐसे आवेदकों को खनिज रियायत स्वीकृति में द्वितीय वरीयता दी जायेगी, इनमें से जो आवेदक प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना कर रहे हों उन्हें खनिज रियायत स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जायेगी.

(ग) एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले/संयंत्र स्थापित करने वाले एक क्षेत्र में एक से अधिक आवेदक होने की स्थिति में आवेदकों की प्राथमिकता तय करने के लिए मूल्य संवर्धन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाने के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा नेटवर्थ,
(2) संयंत्र निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था,
(3) परियोजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था,
(4) प्रस्तावित संयंत्र हेतु आवश्यक जल का आवंटन करा लिया हो,
(5) प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय करने के लिए आदेश जारी किये गये हों तथा एडवांस राशि भुगतान कर दी हों,
(6) पर्यावरण संरक्षण मण्डल से संयंत्र की स्थापना की सम्मति प्राप्त की गई हों,
(7) प्रस्तावित संयंत्र के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन प्रारंभ हो गया हो,

(घ) आवेदित खनिज/रियायत क्षेत्र में खनन के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :—

(1) आवेदित खनिज का आधुनिक तकनीकी से खनन करने हेतु आवेदक के पास उपलब्ध मशीन एवं उपकरण जिससे खनिज का अपव्यय कम से कम हों,

(2) पूर्वेक्षण/खनन कार्य संपादन हेतु नियोजित तकनीकी अमला,

(3) आवेदक यदि आवेदित क्षेत्र का भू-स्वामी है,

(4) आवेदित क्षेत्र, खदानों के बीच गैर उत्खनित क्षेत्र के उपयोग हेतु वैज्ञानिक पद्धति से खनन हेतु समीपस्थ खदान के साथ अन्य खदान स्वीकृत करना,

(5) खनन कार्य एवं मूल्य संवर्धन इकाई में कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाले/ रोजगार देने की वचनबद्धता देने वाले आवेदक."

(3) उप शीर्षक "सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन" के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्षक जोड़े जाये, अर्थात् :—

खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण—

(क) सभी जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर के माध्यम से संचालनालय से जोड़ा जाकर विभिन्न जानकारियां/पीरियोडिकल रिटर्न्स ऑन-लाईन कराने की प्रक्रिया लागू की जाएगी.

(ख) बेहतर दक्षता और प्रशासन के लिए संचालनालय, क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों को आधुनिकीकृत किया जावेगा.

खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन का निवारण एवं नियंत्रण—

(अ) खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्गों पर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तौल मशीन तथा जांच चौकियों की स्थापना की जाएगी.

(ब) खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण रखने के लिये विद्यमान नियमों को और अधिक कठोर एवं प्रभावशाली बनाया जायेगा.

(स) खनिजों के परिवहन के लिए राज्य में चरणबद्ध रीति में ई परमिट पद्धति को विकसित किया जायेगा.

(द) अवैध उत्खनन का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय रिजोल्युशन उपग्रह डाटा को उपयोग में लाया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2013

क्रमांक एफ 6-27/2013/वा.क./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2008 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (provisional)

रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में **उनके सम्मुख** कॉलम 5 में दर्शाये कार्यालय में की जाती है :—

स. क्र. (1)	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक (2)	अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम एवं वर्तमान डाक का पता (3)	श्रेणी (4)	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा (5)
1.	1	श्री टेकचंद अग्रवाल, पिता-श्री फत्तेचंद अग्रवाल, पता-अग्रसेन भवन रोड, बरमकेला, जिला-रायगढ़, (छ.ग.) पिन 496 551.	अनारक्षित	**अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, अंबिकापुर.**
2.	2	श्री रौशन कुमार सिंह, पिता-श्री शिवमूरत राय, पता-पेरियार छात्रावास, कमरा संख्या-218, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली पिन-110067	अनारक्षित	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा वृत्त-एक
3.	3	श्री आलोक कुमार जायसवाल, पिता-स्व. श्री क्रुज बिहारी जायसवाल, पता-जायसवाल बायोलाजी क्लासेस, पो.आ. मंगला, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन-495 001	अ.पि.व.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़, वृत्त-एक
4.	4	श्री नितिन कुमार गर्ग, पिता-श्री श्याम किशोर गर्ग, पता-श्याम ड्रेसेस, संगम चौक, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) पिन-497 001	अनारक्षित	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़, वृत्त-दो
5.	5	श्री आलोक कुमार सिंह, पिता-श्री कौशलेन्द्र सिंह, पता-आलोक कुमार सिंह C/o कौशलेन्द्र सिंह, पुलिस थाना के सामने, अमरपाटन, जिला-सतना (म.प्र.) पिन-485 775	अनारक्षित	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरबा वृत्त-दो
6.	6	श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी, पिता-श्री मुनीराम चन्द्रवंशी, पता-एस.सी./एस.टी. विशेष थाना के पास, हास्पिटल क्वार्टर, कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.) पिन-492 001	अ.पि.व.	वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रवर्तन, दुर्ग.
7.	7	श्री सुमित कुमार महोबिया पिता-स्व. श्री दिलीप महोबिया पता-सुमित कुमार महोबिया C/o श्री श्याम सुंदर महोबिया वार्ड नं. 4, महोबिया पारा, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491 885	अ.पि.व.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-पांच
8.	8	कु. श्वेता यादव, पिता-श्री भगवान चरण यादव, पता-क्वाटर नं. 734/ए/3, पो.आ.-बालको टाउन शिप, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन-495 684	अ.पि.व.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-तीन
9.	9	वर्षा गजपाल, पति-श्री के. के. गजपाल पता-के. के. गजपाल, क्वाटर नं. 4067, ग्रासिम विहार, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि., रावन-सीमेंट वर्क्स, रावन, तह.-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार (छ.ग.) पिन-493 196	अ.पि.व.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजनांदगांव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	10	श्री आशीष कुमार कोसम, पिता-श्री ब्रिजलाल कोसम, पता-मकान क्र. 141, वार्ड नं. 12, दुधावा रोड, बरदेभाटा, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) पिन-494 334.	अ.ज.जा.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-दो
11.	11	श्री दीपक कुमार ठाकुर, पिता-श्री मनोहर लाल ठाकुर, पता-दीपक कुमार ठाकुर C/o मनोहर ठाकुर, वार्ड नं. 8, चौकी रोड, सेवता पारा, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491 661	अ.ज.जा.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-एक
12.	12	श्री रामनरेश चौहान, पिता-श्री रतिराम चौहान, पता-फ्लैट नं. 311, श्वेतहंस परिसर, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-3, पो. आ. रविशंकर विश्व-विद्यालय, रायपुर (छ.ग.) पिन-492 010	अ.जा.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-चार

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ आबकारी सेवा वर्ग 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गई अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 28th May 2013

F. No. 4401/1642/XXI-B/C.G./13.—In compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court of India, the State Government, hereby, accords sanction for creation of 8 posts of District Judge (Entry Level), 8 posts of Senior Civil Judge and 12 posts of Civil Judge (Entry Level) along with 208 posts of the staff as shown in the table below, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Post (2)	Pay Band (3)	Grade Pay (4)	Number of Posts (5)
1.	District Judge (Entry level)	51550-63070	—	8
2.	Senior Civil Judge	39530-54010	—	8
3.	Civil Judge (Entry Level)	27700-44770	—	12
4.	Stenographer	5200-20200	2800	28
5.	Reader Gr-I	9300-34800	4300	8
6.	Reader Gr-II	5200-20200	2800	8
7.	Reader Gr-III	5200-20200	2400	12
8.	Execution Clerk	5200-20200	2400	28
9.	Deposition Writer	5200-20200	1900	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Process Writer	5200-20200	1900	28
11.	process Server	5200-20200	1800	8
12.	Jamadaar	4750-7440	1400	8
13.	Peon	4750-7440	1300	28
14.	Work Charged Contingent (Class-IV)	Contingency establishment	-	
	(i) Waterman			08
	(ii) Chowkidar			08
	(iii) Sweeper			08
			Total	**236**

The above expenditure shall be debited under the Head No. 29-2014-Judicial Administration, 105-District and Sessions Court (4497), General Establishment-01-Pay and Allowances.

This sanction is accorded by the Finance Department vide U.O. No. 214/2013-21-00023/Finance Department/B-3/2013 dated 21-5-2013.

Raipur, the 30th May 2013

No. 4477/1608/XXI-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub rule (1) of Rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976 and on the recommendation of the Hon'ble High Court of Chhattisgarh made on the application for voluntary retirement of Smt. Maitrai Mathur, Member of Higher Judicial Service, the State Government, hereby, retires (Voluntarily) Smt. Maitrai Mathur, from the post of Chairperson Permanent Lok Adalat Jagdalpur, Chhattisgarh, Member of Higher Judicial Service w.e.f. 03-05-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SAMANTRAY, Principal Secretary.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मई 2013

क्रमांक एफ 1-73/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपांशु विजय काबरा, भा.पु.से., पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. रायपुर को दिनांक 27-05-2013 से 14-06-2013 तक (कुल 19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15 एवं 16-06-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री काबरा, आगामी आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री काबरा, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष आसचूना शाखा, छ.ग. के उक्त अवधि में विशेष आसूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय, छ.ग. का प्रभार श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, एस.आई.बी., पुलिस मुख्यालय रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपांशु विजय काबरा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक एफ 1-4/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमित तुकाराम कांबले, भा.पु.से. तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक, दन्तेवाड़ा को स्वयं की बीमारी की ईलाज हेतु दिनांक 17-12-2012 से 29-12-2012 तक (कुल 13 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 30-12-2012 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री अमित तुकाराम कांबले, भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तुकाराम कांबले, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक एफ 1/8/दो-गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., सेनानी प्रथम वाहिनी, छ.स.बल, भिलाई को दिनांक 03-06-2013 से 14-06-2013 तक (कुल 12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री अजय कुमार यादव, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार यादव, भापुसे, सेनानी प्रथम वाहिनी, छ.स.बल, भिलाई (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. श्री अजय कुमार यादव, भापुसे., सेनानी प्रथम वाहिनी, छ.स. बल, भिलाई, छ.ग. के उक्त अवधि में सेनानी प्रथम वाहिनी, छ.स. बल, भिलाई, छ.ग. का प्रभार श्री अभिषेक पाठक, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार यादव, भापुसे. सेनानी प्रथम वाहिनी, छ.स. बल, भिलाई (छ.ग.) अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक एफ 1-9/दो-गृह/भापुसे/2013.—इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 15-05-2013 द्वारा श्री राजकुमार देवांगन, भा.पु.से. संचालक, लोक अभियोजन, छ.ग. को सपरिवार अवकाश सुविधा के तहत अण्डमान-निकोबार प्रवास हेतु दिनांक 20 मई 2013 से 24 मई 2013 तक (कुल 05 दिवस) का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 19 मई 2013 एवं 26 मई 2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने तथा दिनांक 19 मई 2013 से 26 मई 2013 तक मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आकस्मिक अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 31 मई 2013 से 07 जून 2013 तक (08 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 08 एवं 09 जून 2013 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. साथ ही श्री राजकुमार देवांगन, भापुसे, के उक्त अवकाश अवधि में संचालक, लोक अभियोजन, छ.ग. का प्रभार श्री जे. पी. पड़वार, अतिरिक्त संचालक, लोक अभियोजन को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री राजकुमार देवांगन, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजकुमार देवांगन, भापुसे. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक एफ 4-15/2013/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नगरीय निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु स्वीकृतिकर्ता अधिकारी नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक एफ 1-55/2012/16.—छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, के आदेश क्रमांक एफ 1-55/2012/16 दिनांक 02-05-2013 द्वारा स्वीकृत कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जांजगीर-चांपा एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार के क्षेत्राधिकार में निम्न राजस्व जिले सम्मिलित होंगे :—

कार्यालय सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जांजगीर-चांपा.	कार्यालय सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलौदाबाजार.
जांजगीर-चांपा राजस्व जिला	बलौदाबाजार, महासमुन्द राजस्व जिले

No. F 1-55/2012/16.—The Government of Chhattisgarh has sanctioned two new offices of Assistant Director Industrial Health and Safety at Janjgir-Champa and Balodabazar Vide Order No. F 1-55/2012/16 dated 02-05-2013. These two new offices would have jurisdiction over following revenue districts.

Office of the Assistant Director Industrial Health and Safety, Janjgir-Champa.	Office of the Assistant Director Industrial Health and Safety, Balodabazar.
Janjgir-Champa revenue district	Balodabazar, Mahasamund revenue districts

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक/एफ 19-10/2013/25-2.—यत: छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5882/2614/आजावि/2002, दिनांक 24-12-2002 जारी की गई थी,

यत: उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (दो) को, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 के द्वारा अंत:स्थापित किया गया था तथा इस तरह उक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त नहीं था,

यत: उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन मात्र केन्द्र सरकार ही छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 के प्रयोजन के लिए किसी समुदाय की "अल्पसंख्यक" प्रास्थिति के संबंध में अधिसूचना जारी करने हेतु सशक्त है,

अतएव छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक 5882/2614/आजावि/2002, जारी दिनांक 24-12-2002 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहृत करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि इसे ऐसा समझा जायेगा, जैसे कि उक्त अधिसूचना कभी भी अस्तित्व में नहीं थी.

No. F-19-10/2013/25-2.—Whereas, Notification No. 5882/2614/TWD/2002, dated 24-12-2002 was issued by the State Government, exercising power under sub-clause (ii) of clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996).

Whereas, sub-clause (ii) of clause (c) of Section 2 of the said Adhiniyam was inserted by the Madhya Pradesh Rajya Alpsankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 and as such the said Amendment was not in force in the State of Chhattisgarh.

Whereas, under clause (c) of Section 2 of the said Adhiniyam only Central Government is empowered to issue notification regarding "Minority" status of any community for the purpose of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996.

Now therefore, the Government of Chhattisgarh, hereby, withdraws the Notification No. 5882/2614/TWD/2002 issued on 24-12-2002 with immediate effect and also clarifies that it shall be deemed as such that the said notification had never been in exercise.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 जून 2013

क्रमांक 13/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	विद्याडीह प. ह. नं. 37	1.09	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	कनेरी एनीकट पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2013

क्रमांक 383 भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कटौद प. ह. नं. 06	0.596	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया, जिला-रायगढ़.	कांसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	भडोरा पं. ह. नं. 14	0.21	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	रीवाडीह-पीरदा मार्ग पर बोराई नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रूचिदा प. ह. नं. 20	3.502	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत रूचिदा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली प. ह. नं. 25	6.194	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत रूचिदा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 59/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प. ह. नं. 25	0.061	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा.	केलो परियोजना के अंतर्गत रूचिदा माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 जून 2013

क्रमांक/3832/भू-अर्जन/2013.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	आलीवारा प. ह. नं. 21	1.276	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	आलीवारा - फगडूटोला मार्ग के अंतर्गत फगडूटोला नाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 21 मार्च 2013

रा.प्र.क्र/10/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	रजपुरी	2.147	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	रजपुरी जलाशय व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत ग्राम रजपुरी के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 मार्च 2013

रा.प्र.क्र/11/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	जामढोढ़ी	25.664	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01, अम्बिकापुर.	कोटछाल जलाशय व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत ग्राम जामढोढ़ी के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2013

भू-अर्जन प्र.क्र/05/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त नियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	ससकालो	0.080	कार्यपालन अभियंता, थर्मल पावर परियोजना संभाग, अम्बिकापुर.	करेंया माइनर हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3001/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-बिरखा, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.60 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	42	6.60
योग	1	6.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुरही एनीकट के अंतर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3002/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुईखदान

(ग) नगर/ग्राम-झूरानदी, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.26 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	50/23	0.50
	5/1	1.31
	62/9	0.15
	62/1	0.15
	62/10	0.15
योग	5	2.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेण्डरा जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3003/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-मोतीपुर, प. ह. नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल-573.80 वर्गमीटर.

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
	(1)	(2)
	72/1	[illegible]
	72/2	[illegible]2.00
	72/3	32.00
	77/1	40.00
	77/2	7.00
	11	2.00
	45	33.00
	46	48.00
	48	120.00
	49/3	58.00
	49/4	25.00
	50	46.30
	51	35.50
	52	32.00
	53	60.00
योग		573.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोतीपुर लेवल क्रासिंग क्रमांक 461 में रेल्वे अंडरब्रिज (मोतीपुर की ओर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3004/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-बूटाकसा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/1	0.615
189/1	0.040
184	1.076
185	0.049
186/1	0.454
187	0.053
170/7	0.016
182/7	0.069
170/2	0.089
181	0.243
170/3	0.559
182/6	0.142
190/1	0.510
186/2	0.024
199/1	0.234
186/3	0.024
199/3	0.227
186/4	0.024
199/4	0.292
195/1	0.563
195/2	0.825
183/2	0.344
191/1	0.709
191/3	0.057
193	0.490
197/2	0.016
183/1	0.445
197/1	0.324
198/1	0.365
198/3	0.372
200	0.093
201	0.166
220/4	0.150
220/6	0.024
202/1	0.133
206/6	0.283
220/1	0.223
220/3	0.024
202/2	0.138
206/7	0.182
203	0.380
216/1	0.169
207/3	0.125
204/2	0.202
214/2	0.186
219/2, 220/5	0.101
220/7	0.012
202/3	0.085
206/3	0.198
214/1	0.643
204/1	0.324
214/3	0.202
219/3	0.073
202/4	0.085
220/8	0.004
214/4	0.202
195/3	0.289
170/1	0.299
221/1	0.149
170/6	0.089
170/4	0.016
182/10	0.068
170/5	0.093
योग 63	14.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अन्तर्गत बांध के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3005/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सिरलगढ़, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.095 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
43	1.530
39	1.096
59/8	0.607
84/4	0.243
61/3	0.162
60/2	0.651
61/2	0.315
60/1	0.478
61/1	0.474
66/3	0.369
66/1	0.291
66/4	0.445
66/6	0.441
67/2	0.283
136/13	0.133
63/3	0.385
63/6	0.101
136/15	0.530
136/8	0.161
41/1	1.214
63/4	0.125
136/14	0.331
136/5	0.024
136/6	0.064
41/2	0.526
41/4	0.121
63/5	0.101
136/12	0.068
66/2	1.193
66/5	0.138
66/7	0.170
67/1	0.239
135	0.162
137	0.178
69/1	1.206
136/1	0.109
136/11	0.080
136/7	0.142
69/2	0.202
योग 39	15.095

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अन्तर्गत बांध के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3006/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मोहड़, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.455 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
252	0.049
254/1	0.178
253	0.012
256	0.073
317/1	0.290
319	0.061
415	0.053
316	0.004
324	0.032
323	0.109
322/1	0.004
325/3	0.044

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013 1135

(1)	(2)
357	0.125
413	0.040
350	0.016
356	0.145
376	0.057
318	0.069
374	0.057
375	0.085
407	0.012
410	0.053
412	0.032
414/2	0.032
417	0.036
418/2	0.032
438	0.145
439	0.040
501	0.065
503	0.125
575	0.190
236	0.040
351	0.057
352	0.032
320/2	0.061
योग 35	2.455

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक/3007/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-मोहड़, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-69.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
341	0.032
438	0.020
543	0.219
565	0.194
613	0.332
628	0.640
506	1.246
427	0.053
210/1	0.041
436	0.089
561	0.089
403	0.081
425	0.049
433	0.020
335/2	0.028
435/2	0.020
426	0.045
573	0.061
632	0.709
423/2	0.020
656/2	0.295
663/2	0.166
396/1	2.544
422/2	0.121
639/2	0.069
639/5	0.065
339	0.077
386	0.117
530	0.202
604	0.097
624	0.466
387	0.028
384	0.057
612/2	0.162
335/1	0.036
334	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
555	0.506	213/1	0.053
298/2	0.053	213/2	0.081
298/1	0.057	619/1	0.069
294	0.057	209	0.304
551	0.210	671	0.498
556	0.575	562	0.295
572	0.028	608	0.384
607	0.384	655/1	0.308
290	0.057	662	0.384
291/3	0.020	651	0.081
291/1	0.020	513	0.243
697	1.481	548	0.178
284	0.045	564	0.178
650	0.024	602	0.206
286	0.105	665	0.405
509	0.049	669	0.513
508	0.218	660	0.243
544	0.261	657	0.291
574	0.251	668	0.267
559	0.036	667	0.405
524	0.304	533	0.466
537	0.182	615	0.101
516/2	0.105	623	0.316
538	0.223	636	1.497
539	0.186	704	0.757
517	0.336	609/5	0.607
520	0.300	609/3	0.486
527	0.077	687	0.394
542	0.498	609/4	0.607
546	0.372	609/2	0.202
553	0.203	518	1.827
552	0.219	575	1.416
554	0.336	610	0.713
601/4	0.073	620	1.019
557/2	0.097	686/1	1.113
557/5	0.121	691	2.347
670/3	0.340	525	0.073
670/5	0.024	532	0.077
670/4	0.498	618	0.239
557/3	0.433	622	0.159
396/2	0.142	601/2	0.049
526	0.081	626	0.239
617	0.227	681/1	0.405
625	0.324	681/2	0.809
528	0.073	627	0.890
696	0.930	684/2	0.089

(1)	(2)	(1)	(2)
706	2.629	547	0.166
535	0.113	655/3	0.137
688	0.922	661	0.223
693	1.165	637	0.312
694/1	0.073	653	0.150
694/3	0.680	670/6	0.016
695	0.405	557/1	0.081
515/2	0.089	670/1	0.263
515/3	0.089	557/4	0.109
568/2	0.040	654	0.129
571	0.032	647	0.194
601/3	0.097	598	0.008
601/1	0.279	514/2	0.263
619/2	0.105	560	0.036
619/3	0.069	606	0.154
619/4	0.065	649	0.020
529/1	0.248	208	0.020
536/1	0.147	597	0.012
540/2	0.057	397	0.020
563/6	0.327	511	0.648
563/9	0.191	512	0.324
631/1	0.428	648	0.121
633/1	0.809	638	0.053
686/2	0.544	596/1	0.097
570/1	0.194	658	0.417
523/1	0.077	297/2	0.036
529/2	0.121	340/2	0.016
536/2	0.040	612/1	0.162
540/1	0.101	577	0.065
540/3	0.109	541	0.178
563/1	0.040	505	0.314
563/3	0.109	550	0.478
563/5	0.215	510	0.344
563/7	0.049	422/1	0.053
631/2	0.282	639/1	0.028
633/2	0.130	639/4	0.021
570/2	0.302	639/6	0.250
568/1	0.142	308	0.016
515/1	0.089	531/2	0.153
514/1	0.668	603/2	0.061
516/1	0.210	603/1	0.069
522/2	0.243	646	0.012
558	0.134	293	0.105
531/1	0.142	300	0.121
545	0.263	507	0.425
519	0.336	605	0.158
521	0.202	596/2	0.162

(1)	(2)
694/2	0.324
423/1	0.016
694/4	0.291
656/1	0.198
663/1	0.162
401/1	0.020
428	0.061
522/1	0.210
549	0.336
401/711	0.551
670/7	0.137
672/2	0.648
672/1	0.773
670/2	0.324
674	1.299
675	0.535
307	0.154
योग 239	69.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अन्तर्गत बांध के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3255/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलगांव, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
140	0.028
141/1	0.121
170/1	0.049
171	0.024
170/2	0.045
141/2	0.121
योग 6	0.388

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर का विस्तार कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3256/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कटली, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.422 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
298/1	0.125
297/3	0.133
360	0.024
368	0.073
367/1	0.121

(1)	(2)
387/1	0.065
387/2	0.064
389	0.004
388	0.109
386	0.016
404	0.028
403/3	0.008
403/4	0.045
405/3, 405/4, 405/5, 405/2	0.219
416/1	0.077
416/3	0.073
413	0.089
415	0.129
474/3	0.020
योग 22	1.422

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत बेलगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3257/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कटली, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.895 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.061
26	0.142
8/1	0.049
25	0.069
21	0.032
24	0.032
23/4	0.070
20	0.040
22/6	0.049
22/7	0.028
44	0.081
45	0.061
46	0.032
140/1	0.004
140/3	0.097
140/5	0.040
139/2	0.008
योग 17	0.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत देवकट्टा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3258/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-देवकट्टा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.676 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	694	0.166
	695	0.008
	697/2	0.053
	727/5	0.040
	725/5	0.117
	727/4	0.127
	728	0.101
	729	0.028
	722/2	0.020
	727/3	0.016
योग	10	0.676

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत देवकट्टा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3259/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-देवकट्टा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.459 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	64/1	0.121
	64/3	0.097
	62	0.069
	66/3	0.045
	66/4	0.012
	67	0.049
	69/1	0.049
	69/2	0.105
	82	0.049
	81/1	0.032
	81/2	0.032
	100/1	0.036
	100/2	0.040
	106	0.032
	103	0.020
	104	0.024
	107	0.032
	105/1	0.024
	105/2	0.020
	102/2	0.004
	161	0.061
	165/1	0.004
	164/1	0.032
	363/6	0.020
	363/7	0.020
	140	0.008
	162/3	0.028
	152	0.117
	150	0.036
	146	0.028
	145	0.012
	142	0.040
	153/4	0.016
	153/1	0.008
	139/1	0.057
	135/2	0.028
	108	0.004
	151/5	0.032
योग	38	1.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत कन्हारगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3260/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारगांव, प. ह. नं. 63/1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.594 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	885	0.032
	876/2	0.081
	926/2	0.081
	929	0.020
	350/1	0.053
	924/2	0.040
	350/2	0.040
	944/1	0.101
	887	0.146
योग	9	0.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत कन्हारगांव सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3261/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कन्हारगांव, प. ह. नं. 63/1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.092 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	681/1	0.073
	692/1	0.040
	693	0.032
	691	0.028
	689/2	0.049
	689/4	0.040
	688	0.020
	687	0.061
	697/2	0.069
	697/3	0.016
	697/4	0.016
	702/1	0.032
	702/2	0.028
	703/7	0.045
	703/8	0.040
	716/4	0.142
	765/1	0.049
	718/7	0.069
	718/8	0.049
	718/13	0.012
	725/1	0.049
	728/3	0.036
	728/5	0.040
	728/7	0.024
	728/9	0.033
योग	25	1.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अंतर्गत कन्हारगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक/3262/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-थैलीटोला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.338 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
48/1	0.182
192/2-1	0.040
181/1	0.081
180/2	0.061
50/3	0.081
42/3-2	0.149
15/1-8	0.202
15/1-7	0.101
15/3	0.142
20/2-2	0.081
20/2-1	0.097
22/1	0.121
योग 12	1.338

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के थैलीटोला माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक/3351/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
889	0.40
890	0.05
886/9	0.08
891/6	0.03
891/5	0.04
891/4	0.06
891/3	0.07
891/1	0.09
891/2	0.08
886/7	0.07
885/5	0.04
885/1, 885/2	0.17
885/3	0.10
885/4	0.19
881/1	0.03
848/1	0.04
849	0.35
834	0.38
835	0.07
831	0.23
830/1	0.28
830/4	0.06
856/1	0.09
783/1	0.18

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

(1)	(2)
830/3	0.68
830/4	0.40
786	0.06
790	0.35
785/2	0.11
784	0.20
783/2	0.38
780/1	0.22
780/2	0.01
780/3	0.58
782	0.02
781	0.10
791	0.10
771	0.29
768/2	0.08
768/3	0.21
755	0.34
756/2	0.34
758/2	0.15
759	0.07
758/1	0.16
760/2	0.08
762	0.02
763	0.34
767	0.01
योग 50	8.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक/3352/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पारागांवखुर्द, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.17 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
277	0.23
283	0.57
284	0.44
291/1	0.19
291/3	0.11
291/2	0.18
291/4	0.02
292/1	0.29
292/2	0.30
292/3	0.08
293/2	0.03
294	0.23
295	0.30
296	0.03
297	0.47
700/2	0.20
700/1	0.62
701/5	0.46
701/9	0.26
709	0.11
710	0.18
692/1	0.62
754/1	0.11
754/3	0.10
754/2	0.19
754/4	0.10
755	0.85
769/1	0.59
767	0.26
768	0.53
763	0.40
771/3, 4	0.02

	(1)	(2)
	823/4	0.10
योग	33	9.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिनकापार डायवर्सन के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक/3353/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-खैरागढ़
(ग) नगर/ग्राम-महरूमकला, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.63 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	352/39	0.30
	778/10	0.19
	778/18	0.14
योग	3	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरडुवा जलाशय के डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 4 जून 2013

क्रमांक/3831/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-पंडरिया, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.09 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
344/5	0.07
344/6	0.06
344/8	0.01
343	0.05
344/9	0.06
344/1	0.03
345	0.10
235	0.27
346	0.23
236	0.04
231	0.05
229/1	0.11
224	0.06
228	0.10
227	0.03
223/2	0.10
213	0.30
214	0.19
204/1	0.17
204/2	0.08
197/1	0.18
195/6	0.04
195/8	0.10
194/2	0.22
68/1	0.06
68/2	0.17

	(1)	(2)
	69	0.26
	229/2	0.05
योग	28	3.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भड़भड़ी पिकअपवियर उन्नत कार्य के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 55/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ग) नगर/ग्राम-तिफरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	359/2	0.30
	359/1	0.01
	343/2	0.01
	358	0.23
	361	0.04
	360/17, 18	0.03
	360/4	0.02
	360/5	0.05
	360/11, 12	0.03
	360/7, 8	0.03
	360/13, 14	0.02
	360/15, 16	0.02
	362/1	0.14
	362/4	0.14
योग		1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-यदुनंदन नगर बाढ़ नियंत्रण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 56/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ग) नगर/ग्राम-तिफरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1083/3	0.24
1083/4	0.07

(1)	(2)
861	0.14
1082	0.24
योग	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-यदुनंदन नगर बाढ़ नियंत्रण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 9 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पोंडीउपरोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गुडरूमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.123 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/1	0.172
91/2	0.324
94/1	0.862
93/2	0.219
94/2	0.101
263/3	0.224
255/1	0.607
255/2	0.405
255/3	0.514
92/2	0.809
263/2	0.194
263/8	0.101
254	0.445
263/7	0.146
योग	5.123

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के लिए.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोंडीउपरोड़ा के कार्यालय देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा छ.ग.
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-करूमौहा/कल्दामार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
10	1.95
9/3	1.10
9/5	1.55

	(1)	(2)
	9/1	1.00
	9/2	1.00
	9/4	1.30
	8/5	1.92
	8/6	0.55
	8/8	0.55
	8/7	0.25
	8/12	0.50
	8/9	0.28
	8/10	0.60
	11	0.31
	8/13	0.70
योग	15	13.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 10 मई 2013

क्रमांक/01/अ-82/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1674	0.34
योग	1	0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जेवरी बहिंगा मार्ग पर करूवा नाला पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 22 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-वासुदेवपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.235 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	**रकबा (हेक्टेयर में)**
(1)	(2)
60/1	0.648
53	1.631
61/5	2.023

	(1)	(2)
	59	0.603
	60/3	0.821
	58	2.594
	60/4	0.688
	116/2	1.712
	61/2	1.699
	116/1	0.364
	60/5	0.526
	60/7	0.364
	60/6	0.729
	60/2	0.162
	56	2.586
	54	0.223
	60/8	0.243
	61/3	1.619
योग	18	19.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धोतीमारा तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-दुलदुला
- (ग) नगर/ग्राम-पतराटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.635 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	05	0.672
	10	0.1[illegible]
	14/3	0.344
	12/3	0.138
	12/2	0.202
	11/2	2.096
	18	0.134
	4/3	0.405
	1/1ख	1.619
	1/1घ	1.254
	16/1	0.024
	16/3	0.809
	07	0.235
	12/1	0.518
	14/4	0.194
	14/5	0.182
	14/6	0.219
	14/8	0.113
	08	0.482
	4/4	0.142
	1/1ग	0.575
	1/2	1.254
	16/4	0.162
	09	1.477
	14/1	0.040
	14/7	0.020
	11/3	0.202
	14/2	0.069
	13	0.247
	4/2	0.263
	1/1क	1.214
	03	0.802
	16/5	0.247
	16/2	0.073
योग	34	16.635

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धोतीमारा तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 22 मई 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-बेलसुंगा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.412 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	219/4	1.740
	269/6	0.170
	194	0.295
	200/2	0.214
	269/3	0.279
	219/3	0.512
	269/5	0.040
	269/4	0.162
योग	8	3.412

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलसुंगा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 मई 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./08/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-तिल्दा

(ग) नगर/ग्राम-सरोरा, प.ह.नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.715 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
130/3	0.024
130/1	0.004
133/1	0.061
679/1	0.101
679/2	0.081
152	0.037
210/3	0.004
212	0.003
151/4	0.069
151/3	0.004
157/2	0.117
157/1	0.081
150/1	0.008
158/3	0.020
191	0.049
291/6	0.041
183/5	0.078
183/4	0.008
190/3	0.032

(1)	(2)
190/2	0.041
180/5	0.032
190/4	0.028
179	0.012
190/8	0.024
192	0.121
209/6	0.053
210/4	0.069
291/7	0.093
213/2	0.041
213/5	0.081
291/2	0.008
291/3	0.008
291/4	0.041
289/5	0.061
289/6	0.061
289/7	0.061
288/2	0.036
288/1	0.041
287/2	0.028
715/1	0.113
716/1	0.012
106/66	0.077
106/65	0.121
106/43	0.012
106/9	0.125
106/2	0.008
124/1	0.008
123	0.113
122/1	0.061
121/3	0.004
112/1	0.093
106/1	0.020
121/1	0.093
211/2	0.032
291/1	0.008
291/9	0.041
291/5	0.012
योग 57	2.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सरोरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2013

क्रमांक 276/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 06/अ. 82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-कोटनी, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	19/4	0.15
योग	1	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत सड़क क्रमांक-9 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 29 मई 2013

क्रमांक/3247/भू.अ.प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कोचेरा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1165	0.19
योग		0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कुम्हालोरी एनीकट कम रपटा निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

क्रमांक 26.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिसूचना क्रमांक 10-4/2010/16 दिनांक 04-03-2010 विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्ठित एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतःस्थापित किया जाता है :—

1. **विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्ठित एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना**

   (द) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

   (i) हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के सामान्य एवं दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को संबंधित सहायक श्रमायुक्त/श्रमपदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा रुपये 5,000/- अंत्येष्टि सहायता राशि तुरंत अथवा आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर नगद दी जावेगी.

सविता मिश्रा,
सचिव.